प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 20 नवम्बर, 2020***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी चन्द्रभान पाण्डेय पुत्र श्री राधेश्याम पाण्डेय, निवासी जनपद-बस्ती की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-25709/प्रोवेशन-3/फार्म-ए(एम-14.10.2020) दिनांक-14.10.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी चन्द्रभान पाण्डेय पुत्र श्री राधेश्याम पाण्डेय, सोहिन्दापुर, थाना-छावनी, जनपद-बस्ती का निवासी है। बंदी चन्द्रभान पाण्डेय द्वारा अपनी पुत्री खुशबू की हत्या बर्बरता पूर्वक गला घोट कर की गयी तथा साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से मृतका के शव को बोरे में भर कर निर्जन स्थान पर फेंकने का जघन्य अपराध कारित किया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-116/2008 भा0द0सं0 की धारा-302, 201, 120बी के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश, (सी0बी0आई0) कोर्ट संख्या-01, गाजियाबाद के आदेश दिनांक 01.06.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 04.04.2019 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 14.07.2020 तक 14 वर्ष की अपरिहार सजा तथा 16 वर्ष 26 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी चन्द्रभान पाण्डेय द्वारा किया गया अपराध गंभीर अपराध की श्रेणी का होने, जिसका समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, बन्दी के भविष्य में अपराध करने की संभावना होने, बंदी अपराध करने में शारीरिक रूप से सक्षम है पुन: अपराध करने में सशक्त है, बंदी किसी भी तरह विमुक्त होकर पुन: अपराध कर सकता है, आम शोहरत अच्छी नहीं है, इसलिए बंदी को जेल में निरूद्ध रखे जाने का सार्थक प्रयोजन है, बंदी की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नही है तथा न ही न्यायहित में है। उक्त के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बंदी ने पत्नी सीमा की पुत्री खुशबू की हत्या बर्बरता पूर्वक गला घोट कर की गयी तथा साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से मृतका के शव को बोरे में भर कर निर्जन स्थान पर फेंकने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज पर व्यापक रूप से प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, आयु, बंदी द्वारा समाज को प्रभावित करने वाले आपराधिक कृत्य, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती द्वारा समयपूर्व

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

रिहाई का विरोध किये जाने एवं अन्य सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचार करते हुए प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी चन्द्रभान पाण्डेय पुत्र श्री राधेश्याम पाण्डेय को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति** नहीं की गयी है।

3- विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) डायरी संख्या-9021/2020 चन्द्रभान पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में तथा उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी चन्द्रभान पाण्डेय (बन्दी संख्या-17002) पुत्र श्री राधेश्याम पाण्डेय, निवासी जनपद-बस्ती के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-498/2020/**936**(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री को सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-498/2020/936/22-2-2020-ई-17(364)/2020

दिनांक 20 नवम्बर, 2020 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी चन्द्रभान पाण्डेय पुत्र श्री राधेश्याम पाण्डेय, सोहिन्दापुर, थाना-छावनी, जनपद-बस्ती का निवासी है। बंदी चन्द्रभान पाण्डेय द्वारा अपनी पुत्री खुशबू की हत्या बर्बरता पूर्वक गला घोट कर की गयी तथा साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से मृतका के शव को बोरे में भर कर निर्जन स्थान पर फेंकने का जघन्य अपराध कारित किया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-116/2008 भा0द0सं0 की धारा-302, 201, 120बी के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश, (सी0बी0आई0) कोर्ट संख्या-01, गाजियाबाद के आदेश दिनांक 01.06.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 04.04.2019 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 14.07.2020 तक 14 वर्ष की अपरिहार सजा तथा 16 वर्ष 26 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी चन्द्रभान पाण्डेय द्वारा किया गया अपराध गंभीर अपराध की श्रेणी का होने, जिसका समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, बन्दी के भविष्य में अपराध करने की संभावना होने, बंदी अपराध करने में शारीरिक रूप से सक्षम है पुन: अपराध करने में सशक्त है, बंदी किसी भी तरह विमुक्त होकर पुन: अपराध कर सकता है, आम शोहरत अच्छी नहीं है, इसलिए बंदी को जेल में निरूद्ध रखे जाने का सार्थक प्रयोजन है, बंदी की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नही है तथा न ही न्यायहित में है। उक्त के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बंदी ने पत्नी सीमा की पुत्री खुशबू की हत्या बर्बरता पूर्वक गला घोट कर की गयी तथा साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से मृतका के शव को बोरे में भर कर निर्जन स्थान पर फेंकने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज पर व्यापक रूप से प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, आयु, बंदी द्वारा समाज को प्रभावित करने वाले आपराधिक कृत्य, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने एवं अन्य सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचार करते हुए प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी चन्द्रभान पाण्डेय पुत्र श्री राधेश्याम पाण्डेय को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति** नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in